न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 91/2024 निर्णय दिनांकः 05.02.2025

ऑनलाईन नम्बर 2024/191

1. हनुमानाराम पुत्र ईशरराम जाति मेघवाल निवासी ढ़ढेरू तहसील बीदासर जिला चूरू
2. शेराराम पुत्र पनाराम जाति मेघवाल निवासी कीतासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. मन्दिर श्री रामदेवजी महाराज जरिये पुजारी सवाई पुत्र सुरजाराम जाति कामड़ निवासी कीतासर भाटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. श्री के.के. पुरोहित अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआर एक्ट</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह है कि प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 365/121 तादादी 4.7799 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 363/121 तादादी 2.3895 हैक्टेयर रोही कीतासर बीदावतान एवं अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से खसरा नम्बर 316 तादादी 6.7700 हैक्टेयर रोही कीतासर भाटियान में स्थित है। प्रार्थीगण के खेतो का रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 316 तादादी 6.7700 हैक्टेयर में से शूरू से ही चला आ रहा है जो मौके पर प्रार्थी संख्या 1 के खेत की पूर्वी सींव के पास पास गुजरता है जिस रास्ते से फटकर प्रार्थीगण अपने अपने खेतो में प्रवेश करते है। अप्रार्थी संख्या 2 के खेत में कायम रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज है जो कीतासर से आलसर का मार्ग है जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 के खेतो की सींव के सहारे सहारे कायम है लेकिन राजस्व नक्शा सीट में उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खेतो की सींव से 50 मीटर की दूरी पर अंकित है। उक्त गै.मु. रास्ता जहा दर्ज है जो कीतासर से आलसर का रास्ता है जो मौके पर प्रार्थीगण के खेतो की सींव पर कायम है उक्त रास्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 के खेतो की सींव पर कायम होने से राजस्व नक्शा सीट मे रास्ता की तरमीम मौके पर कायम रास्ता के अनुसार करवायी जानी आवश्यक हो गयी है। उक्त जो प्रार्थीगण के खेतो का पहुच मार्ग है लेकिन राजस्व नक्शा सीट में मौके के विपरीत दर्ज है जिससे प्रार्थीगण रिकार्डेड पहुच मार्ग से वंचित है जिसको प्रार्थीगण मौके पर कायम रास्ता की तरमीम मौके के अनुसार करवाने के अधिकारी है। उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि से निकलता है जो प्रार्थीगण द्वारा निरन्तर उपयोग किया जा रहा है किन्तु उक्त रास्ते की तरमीम राजस्व नक्शे में मौके से भिन्न 50 मीटर दूर है जबकि मौके पर रास्ता प्रार्थीगण के खेतो की पूर्वी सींव के सहारे सहारे है जिसको मौके पर कायम रास्ता के अनुसार किया जाकर दूरूस्त किया जाना है। उक्त रास्ता का उपयोग प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारो द्वारा किया जा रहा है रास्ता की तरमीम कायम रास्ता के अनुसार नही होने के कारण प्रार्थीगण रिकार्डेड रास्ते से वंचित है जिसको रिकार्ड में दुरूस्त किया आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण के खेतों का रास्ता पूर्वी

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 11:12:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

सींवं के सहारे सहारे कायम है। अप्रार्थी संख्या 2 के खेतो में से जाने वाला रास्ता कीतासर से आलसर जाता है जो रास्ता ग्रामवासियो एवं अन्य काश्तकारो के आने जाने के सुविधा अनुसार उक्त रास्ता को मौके पर काश्तकारो ने समतल जगह पर कायम किया हुआ है जो करीब 35–40 वर्षो पूर्व से कायम है लेकिन राजस्व रिकार्ड में तरमीम अभी तक खेतो के मध्य में तरमीम है जिसको रिकार्ड दुरूस्त करवाकर रास्ता को मौके के अनुसार करवाना जरूरी हो गया है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा रिकार्ड एवं तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि रोही कीतासर भाटियान एवं कीतासर बीदावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने से न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि:–

(क) यह है कि खसरा नम्बर 316 तादादी 6.7700 हैक्टेयर रोही कीतासर भाटियान में कायम गै.मु. रास्ता 0.1700 हैक्टेयर की तरमीम मौके पर कायम रास्ता के अनुसार दुरूस्त किये जाने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को दिया जावे।

(ख) कि अप्रार्थी संख्या 2 को आदेशित किया जावें कि वो खसरा नम्बर 316 तादादी 6.7700 हैक्टेयर रोही मौजा कीतासर भाटियान में कायम रास्ते की तरमीम मौके के आधार पर राजस्व नक्शा सीट में दर्ज कर रिकार्ड को दुरूस्त किया जावें ।

(ग) यह है कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर प्रार्थीगण हो या दौराने प्रार्थना पत्र हो जावे, वह भी प्रार्थीगण को प्रदान किया जावे ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। स्टेट की ओर पैरोकारराज ने जवाब पेश किया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में अप्रार्थीगण को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 316 तादादी 6.7700 हैक्टेयर वाके रोही कीतासर भाटियान में रास्ते की तरमीम मौके पर कायम रास्ता अनुसार राजस्व नक्शा सीट में दर्ज कर रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 05.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 11:12:31 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ